



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, कमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)
(A Central University established by the Central Universities Act., 2009 No.25 of 2009)
Web Site – www.ggu.ac.in, Ph. No. 07752-260342, fax No. 07752-260148,154

कमांक 481 / अका. / डीन नियु. / 2020

बिलासपुर, दिनांक 28-2-2020

आदेश

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 कमांक 25 की धारा 13 के अंतर्गत एवं परिनियम कमांक 05 (1) के प्रावधानानुसार प्रो०एस०एस०सिंह, आचार्य (वानिकी) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग को प्राकृतिक संसाधन विद्यापीठ का अधिष्ठाता नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति दिनांक 01-03-2020 से 28-02-2023 तक अर्थात् 03 वर्ष के कार्यकाल के लिये की गई है।

आदेशानुसार,


कुलसचिव(कार्यवाहक)

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर मान० कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ ।
2. प्रो०एस०एस०सिंह, आचार्य (वानिकी) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग की ओर सूचनार्थ ।
3. प्रो०व्ही०डी०रंगारी, आचार्य (फार्मसी) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग की ओर सूचनार्थ ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कक्ष अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
5. समन्वयक, आई.टी.सेल, संगणक विज्ञान विभाग की ओर विश्वविद्यालय वेबपटल पर अपलोड हेतु प्रेषित ।
6. कार्यालय प्रति ।


सहायक कुलसचिव (अका०)

CSM/94
03/3/2020